No. 50/58/88-S(I)(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Colonization of Government Lands Act, 1912 (Punjab Act V of 1912), Kumari Rajni Sekhri, IAS, Sub-Divisional Officer (Civil), Mahendragarh is appointed as a Collector to perform all the functions and exercise all the powers under sections 17, 20, (3), 24, 25, 26, 32, 33 and 34 of the said Act within the limits of the Mahendragarh Sub-Division of Mahendragarh District over the lands to which the said Act applies in respect of all State owned lands in the Sub-Division under the management of the Public Works Department, Haryana.

No. 50/58/88-S(I)(F).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (9) of section 2 of the Indian Stamp Act 1899 (Act, No. II of 1899), the Governor of Haryana hereby appoints Kumari Rajni Sekhri, IAS, Sub-Divisional Officer (Civil), Mahendragarh to perform the duties of a Collector under the said Act within the limits of the Mahendragarh Sub-Division of the Mahendragarh District.

NARESH GULATI,

Joint Secretary.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 20 मार्च, 1989

क्रमांक 126-ज-(I)-89/7852.—श्री छत्र सिंह, पुत्र श्री सुख लाल, निवासी गांव गढ़ी सिसाना, तहसील व जिला सोनीपत, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 421-जे-II-74/26904, दिनांक 26 जून, 1974, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब, श्री छत्र सिंह की दिनांक 20 जनवरी, 1984, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री छत्र सिंह की विधवा श्रीमती रिसालो देवी के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 156-ज(I)-89/7856.—श्री कृपाल सिंह, पुत्र श्री मिहान सिंह, निवासी गांव जंगू माजरा, तहसील नरायणगढ़, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1661-ज-I-76/27552, दिनांक 1 सितम्बर, 1976 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री कृपाल सिंह की दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री कृपाल सिंह की विधवा श्रीमती करतार कौर के नाम रबी, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है ।

राज कुमार अरोड़ा,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।